

17.7.19.

बार-बार आवाज दिलवाये जाने के उपरान्त भी न अपीलान्ट और न अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित आये। पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली दिनांक 16.10.18 से रेस्पों. के बाकी को कार्यवाही का मु. अपेक्षित है। अतः पत्रावली अदम हावरी, अदम पेशी व अदम तकमील में खारिज की जाती हैं। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे बाद जाप्ता कार्यालय दफ्तर से।

पत्रावली अधिकारी,
पदेन
राजस्थान वकील प्राधिकारी
जयपुर नैम्ब-धौलपुर